दून विश्वविद्यालय, देहरादून

प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय

आदेश संख्याः डी.ए.ए./सू.अ.अधि./अपील/784/2022–23 दिनांक 07, अक्टूबर 2023

अपील संख्या : 59 : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–19(1) के अन्तर्गत।

अपीलकर्ताः डा0 विजय श्रीधर
201, फैकल्टी होम
दून विश्वविद्यालय, देहरादून

प्रतिवादीः लोक सूचना अधिकारी, दून विश्वविद्यालय, देहरादून

आदेश

डा0 विजय श्रीधर, 201, फैकल्टी होम, दून विश्वविद्यालय, देहरादून, द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, दून विश्वविद्यालय, मोथरोवाला रोड, केदारपुर, देहरादून को इमेल के माध्यम से प्रेषित किया गया जो विश्वविद्यालय में प्रथम अपीलीय अधिकारी की मेल पर दिनांक 16 अगस्त 2023 को प्राप्त हुआ।

उक्त अपील को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील के रूप में स्वीकार करते हुये अपील संख्या 59 के रूप में पंजीकृत किया गया। उक्त अपील पर सुनवायी हेतु 03 अक्टूबर 2023 सांय 4:00 बजे की तिथि एवं समय निर्धारित करते हुये उभयपक्षों को आदेश संख्या 742/138/DDA/DU/2023 दिनांक 27 सितम्बर 2023 के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय पर सुनवायी हेतु उपस्थित होने के आदेश जारी किये गये जिसको कि इमेल के माध्यम से सभी पक्षों को प्रेषित किया गया।

1. निर्धारित तिथि एवं समय पर अपीलार्थी उपस्थित हुये।
2. निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई हेतु प्रतिवादी श्री नरेन्द्र लाल लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हुये।
3. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील, सूचना प्राप्त करने के मूल आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2023, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (पत्र स0 492 दिनांक 15.07.2023 संलग्नकों सहित), प्रथम अपीलीय पत्र इमेल दिनांक 16 अगस्त 2023, लोक सूचना अधिकारी, दून विश्वविद्यालय का लिखित अभिकथन पत्रांक 527/DR/2023 दिनांक 29.09.2023 संलग्नकों सहित तथा अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी के मौखिक अभिकथनों को कार्रवाई हेतु पत्रावली का भाग बनाया गया।
4. अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा मांगी गयी सूचना के जबाव में उन्हें जो सूचना उपलब्ध करायी गयी है वे सन्तोषजनक नहीं है तथा दुर्भावनावश सूचनायें देने से इन्कार किया गया है।
5. अपीलकर्ता द्वारा अपने मौखिक बयान में कहा गया कि उनके सूचना आवेदन के बिन्दु सं0 2 में उनके द्वारा वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 में नियुक्त फैकल्टी सदस्यों द्वारा किये गये ओरिण्टेशन एवं रिफ्रेशर कोर्स/मैथडोलॉजी वर्कशॉप के प्रमाण पत्र मांगे गये थे जो कि उन्हें प्रदान नहीं किये गये।

6. विवेचना के उपरान्त यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना व्यक्तिगत होने के कारण सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सम्बन्धित फैकल्टी सदस्यों से, उनसे सम्बन्धित सूचना को दिये जाने के सम्बन्ध में उनकी सहमति प्राप्त करने हेतु उन्हें ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया। प्रतिउत्तर में जिन फैल्कल्टी सदस्यों द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गयी उनसे सम्बन्धित अभिलेख अपीलार्थी को उपलब्ध करा दिये गये तथा जिन्होंन अपनी असहमति व्यक्त की उनसे सम्बन्धित अभिलेख प्रदान नहीं किये गये। इस पर सहमति व्यक्त की जाती है।

7. विभागीय प्रथम अपील उपरोक्तानुसार विचार करते हुए, निस्तारित तथा निक्षेपित की जाती है।

8. आदेश की प्रति उभयपक्षों को ई–मेल या पंजीकृत डाक से प्रेषित की जाये।

पत्रावली संचित की जाये।

आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित

दिनांक 03 / 10 / 2023

(डा0 एम0एस0 मन्द्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दून विष्वविद्यालय, मोथरोवाला रोड़,
केदारपुर, पो0ओ0 अजबपुर, देहरादून
ईमेल registrar@doonuniversity.ac.in
फोन न0 0135-2533136/115

नोट : अपीलार्थी उक्त निर्णय से संतुश्ट न होने की दशा में प्रथम अपील के इस निर्णय के प्राप्ति तिथि से 90 दिन के भीतर अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, मसूरी वायपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून में द्वितीय अपील कर सकते हैं।